30/03/26

पत्रा० पेश हुई। वादी वकील उप०। दावा वादी न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 हरीचरन बनाम किड्डू वगै.

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 128 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नं0 1854 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई जिला पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें, मदाखलत मजाहमद न करें एवं न ही वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में कब्जा काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह किबेज – मुबलिग ________ बावत ____________ ____________ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ____________ की अदा करें ।

द दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30/03/26 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत— [signature] अधिकारी नदबई भरतपुर (राज॰)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. हरीचरन पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिल

—वादि

बनाम

1. किड्डू पुत्र लखन जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. रूपन पत्नि लखन जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. लीला पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. मिट्ठो पत्नि किड्डू जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

—असल प्रतिवादीगण

5. रामकिशोर पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी तलछेरा तहसील नदबई।
6. नंदकिशोर पुत्र मूलचंद जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. ओमप्रकाश पुत्र सोन्याराम जाति कोली निवासी बरोलीरान तहसील नदबई।

—तर0 प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

ण सं. 128 / 2024
ोएमएस नं0 2024 / 240
म दावा 188 आर.टी.ए.
र्णय दिनांक 30.03.2026

1. हरीचरन पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादिनी

बनाम

1. किड्डू पुत्र लखन जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. रूपन पत्नि लखन जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. लीला पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. मिट्ठो पत्नि किड्डू जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

—असल प्रतिवादीगण

5. रामकिशोर पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी तलछेरा तहसील नदबई।
6. नंदकिशोर पुत्र मूलचंद जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. ओमप्रकाश पुत्र सोन्याराम जाति कोली निवासी बरोलीरान तहसील नदबई।

—तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रमेश चंद देशवार एड0(वादी की ओर से

निर्णयदावा अन्त.धारा 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1854 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है।
3. यह है कि हाल आराजी खसरा नं0 1854 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 5, 1/3,

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज-)

/3 हिस्से का यानि 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा तर. प्रतिवादीगण संख्या 6, 8/87 हिस्से का तथा तर. प्रतिवादीगण संख्या 7, 7/29 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 विवादित आराजी पर लट्ठ ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है।

4. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने वादी को वमुकाम ग्राम तलछेरा तहसील नदबई पर धमकी दी है कि विवादित आराजी पर कब्जा करके रहेगें व वादी को वादी की आराजी से बेदखल करके रहेगें व कब्जा काश्त में दखल करेंगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादिनी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित वादपत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें, कब्जा काश्त में दखल न करें तथा वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के कब्जा काश्त में दखल न करें तथा वादी द्वारा बोई गई फसल को जबरदस्ती काट कर न ले जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगणों के खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2073–76 वाके ग्राम तलछेरा पेश की गयी।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। कि विवादित आराजी खसरा नं0 1854 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी वादिनी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। वादीगण को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हैं इसलिए वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि कि विवादित आराजी खसरा नं0 1854 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई जिला पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें, मदाखलत मजाहमद न करें एवं न ही वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में कब्जा काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई।
नदबई भरतपुर (राज०)

सत्यमेव जयते